

प्ररूप सं. 24थ

[धारा 192 और नियम 31क देखिए]

आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितम्बर/दिसम्बर/मार्च) (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के वेतन की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण

1.	(क)	कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन)																	(घ)	क्या इस तिमाही के लिए पहले कोई विवरणी फाईल की गई है (हां/नहीं)																
	(ख)	स्थायी लेखा सं. (टैन) (टिप्पण 1 देखिए)																	(ङ)	यदि (घ) का उत्तर "हां" है तो मूल विवरणी की अंतरिम रसीद सं.																
	(ग)	वित्तीय वर्ष																	(च)	कटौतीकर्ता के प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)																

2. कटौतीकर्ता (नियोजक) की विशिष्टियां

- (क) नियोजक का नाम
- (ख) यदि केन्द्र/राज्य सरकार नाम (टिप्पण 3 देखिए)
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड
- (ग) टैन रजिस्ट्रीकृत सं.
- (घ) पता

फ्लैट सं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/गली	
क्षेत्र/अवस्थान	
नगर/शहर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन सं.	
अनुकल्पी टेलीफोन सं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

5. संदत्त वेतन के ब्यौरे और कर्मचारियों से उस पर काटा गया कर

(i) सुसंगत तिमाही के ब्यौरे वाले प्रत्येक तिमाही विवरण के साथ उपाबंध 1 में संलग्न करें।

(ii) अंतिम विवरण के साथ उपाबंध 2 संलग्न करें अर्थात् सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा रखने वाली 31 मार्च को समाप्त तिमाही हेतु।

सत्यापन

मैं, सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :

व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :-

1. गैर सरकारी कटौतीकर्ता के लिए पैन का उद्धरण करना आज्ञापक है। सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में “पीएनएनओटीआरईक्यूडी” का उल्लेख होना चाहिए।
2. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर सरकारी कटौतीकर्ता उपदर्शित करें।
3. केंद्रीय सरकार की दशा में कृपया विभाग/मंत्रालय के नाम का उल्लेख करें। राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य के नाम का उल्लेख करें।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई.मेल में, कृपया उस व्यक्ति का टेलीफोन नं. और ई.मेल दें जिसको कर कटौतीकर्ता की अनुपस्थिति में या कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से संपर्क किया जा सके।
5. टीडीएस विवरण को विलंब से फाइल करने के लिए धारा 234इ के अधीन संदत्त फीस को “फोस” स्तंभ में अलग से उल्लेख किया जाए। (स्तंभ 306)
6. स्तंभ 308 में, सरकारी डीडीओ पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित राशि का उल्लेख करने के लिए। अन्य कटौतीकर्ता चालान के माध्यम से जमा यथावत राशि लिखें।
7. स्तंभ 309 में सरकारी कटौतीकर्ता जहां टीडीएस समायोजन बही के माध्यम से केंद्रीय सरकार की जमा खाते के लिए विप्रेषित हो गया है “ख” लिखें, अन्य कटौतीकर्ता “ग” लिखें।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सी.आई.एन./बी.आई.एन.) विशिष्टियां अर्थात् 310, 311, 312 यथावत वैसी ही होनी चाहिए जैसी कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध है।
9. स्तंभ 313 में, लघुशाीर्ष, जैसे चालान पर चिन्हांकित है, का उल्लेख करें।

सत्यापन

में सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :-

1. यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन निम्नतर दर से कर की कटौती के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है तो “क” लिखें। ऐसे मामलों में कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्या आज्ञापक है।
2. यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है तो “ख” लिखें। ऐसे मामलों में कर्मचारी का स्थायी लेखा सं. आज्ञापक है।
3. यदि कटौती किए गए व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या न दिए जाने के कारण कटौती उच्च दर पर है तो “ग” लिखें।
4. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192	संघ सरकार के कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को संदाय	92क
192	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को संदाय	92ख
192	संघ सरकार के कर्मचारियों को संदाय	92ग

उपाबंध 2

वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त/जमा वेतन और संदेय शुद्ध कर के ब्यौरे

	क्र. सं.	
	(330)	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्यां
	(331)	कर्मचारी का नाम
	(332)	वे निवासी व्यक्ति जो 60-80 आयु के वर्ग में है के लिए "एस" लिखें, वे निवासी व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे ज्यादा है के लिए "ओ" लिखें और अन्य के लिए "जी" लिखें
	(333)	चाहू वित्त वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित तारीख से तारीख तक नियोजित (दिन/मास/वर्ष)
	(334)	कर योग्य रकम जिस पर चाहू नियोजक द्वारा कर की कटौती की गई
	(335)	रिपोर्ट की गई कर योग्य रकम जिस पर पूर्व नियोजक/नियोजकों द्वारा कर की कटौती की गई है
	(336)	वेतन की कुल रकम (टिप्पण 1 देखिए) (335 + 336)
	(337)	धारा 16(ii) के अधीन कुल कटौती
	(338)	धारा 16(iii) के अधीन कुल कटौती
	(339)	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभारित आय (स्तंभ 337 -- (338 + 339))
	(340)	स्रोत पर कटौती के लिए दी गई "वेतन" शीर्ष से भिन्न किसी शीर्ष के अधीन आय (जिसमें गृह संपत्ति से हुई हानि सम्मिलित है) [धारा 192(2ख)]
	(341)	सकल कुल आय (स्तंभ 340 और 341 का कुल जोड़)
	(342)	धारा 80ग, धारा 80गग और धारा 80गघ के अधीन ग्राहनी कटौती की रकम का योग (धारा 80गगड में विनिर्दिष्ट सीमा रकम का कुल जोड़)
	(343)	अध्याय 6क के अन्य उपाबंध/उपाबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम
	(344)	अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम (स्तंभ 343 और 344 का कुल जोड़)
	(345)	कर योग्य कुल आय (स्तंभ 342 से स्तंभ 345 घटाएं)
	(346)	कुल आय पर आयकर
	(347)	अधिमार्
	(348)	शिक्षा उपकर
	(349)	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन इत्यादि बकाया या अधिकतम में संदत्त है
	(350)	शुद्ध संदेय कर (कुल स्तंभ 347, स्तंभ 348 और 350 को घटा कर)
	(351)	संपूर्ण वर्ष के लिए चाहू नियोजक द्वारा स्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम (प्रत्येक कर्मचारी की बाबत सभी चारों तिमाही के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग)
	(352)	पूर्व नियोजक/नियोजकों, कटौतीकर्ता/कटौतीकर्ताओं द्वारा स्रोत पर कटवाए गए कर की रिपोर्ट की गई (वह रकम जिसकी बाबत स्तंभ 346 में संगणित कुल कराधेय आय में सम्मिलित की गई है)
	(353)	संपूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम स्तंभ 352 में है
	(354)	कर कटौती में कमी (+)/अधिक कर कटौती (-) (स्तंभ 351 - 354)
	(355)	बका कटौती किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या न दिए जाने पर उच्चतर दर से कर कटौती की गई (हां/नहीं)
	(356)	

स्थान :

तारीख :

वेतन का संदाय करने के लिए नियोजक उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

टिप्पण :-

1. वेतन, जिसके अंतर्गत मजूदरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न], फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि किसी वेतनमान या मजूदरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त, जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है, [धारा 10(10क) के अधीन छूट से भिन्न] आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभाय किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के उपनियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम आय समझी जाएगी, धारा 80गघ में निदिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या वेतन शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभाय कोई अन्य रकम ।
2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी की निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदाय विवरण में शामिल किया जाना चाहिए ।